हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

संख्याःवि0स0-विधायन-नियम 101/1-26/2018

प्रेषक :

सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

प्रेषितः

मुख्य सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला-171002.

दिनांक, शिमला-171004, 29-3-2018

विषयः **वीरवार, 5 अप्रैल, 2018 को विचारार्थ लिए जाने वाले गैर-सरकारी सदस्य कार्य संकल्प ।**

महोदय,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 में निहित अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देशों के निर्देश संख्या-6 के अन्तर्गत मुझे आपको बुलेटिन भाग-2 संख्याः 50 की 20 प्रतियां आपकी सूचना एवं आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित करने का निदेश हुआ है।

भवदीय,
29/03/2018
सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा।

पृष्ठांकन सं0ः यथोपरिः दिनांक, शिमला- 171004 29-3-2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1 प्रधान सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.
2 प्रधान सचिव (जनजातीय विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.
3 प्रधान सचिव (बहुउदेश्यीय परियोजनाएं एवं उर्जा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.
4 सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.
5 अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.
6 सचिव, राज्यपाल महोदय, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला -171002.
7 समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला -171002.
8 विशेष निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, व0 निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला-171004.
9 समस्त निजी सचिव, मंत्री परिषद हिमाचल प्रदेश, शिमला 171002 को उपरोक्त बुलेटिन भाग-2. संख्या : 50 की एक प्रति सहित।

29/03/2018
सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

बुलेटिन भाग-2

(संसदीय एवं अन्य विषयों से सम्बन्धित सामान्य सूचना)

वीरवार, 29 मार्च, 2018/ 8 चैत्र,1940(शक्)

गैर सरकारी सदस्य कार्य

'संकल्प'

द्वितीय सत्र

संख्या:50

वीरवार, दिनांक 5 अप्रैल, 2018, को चर्चा हेतु लिए जाने वाले गैर–सरकारी सदस्यों के संकल्प जिनकी शलाका (Ballot) दिनांक 29-3-2018 को हुई, का परिणाम:-

क्र0 स0	सदस्य का नाम	उद्धरण
1	श्री सुख राम चौधरी श्री इन्द्र सिंह श्री बिक्रम सिंह जरयाल	यह सदन सरकार से मांग करता है कि प्राथमिक शिक्षा में स्कूलों की बढती संख्या के उपरान्त लगातार विद्यार्थियों की घटती संख्या एवं गिरते स्तर पर नीति बनायें
2	श्री राकेश पठानिया	This House may discuss the illegal mining in the State and recommends to the Govt. to form a policy.
3	श्री राकेश सिंघा	यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में नई सौर उर्जा नीति बनाई जाए।
4	श्री हर्षवर्धन चौहान	यह सदन केंद्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि जिला सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र की शिलाई, संगडाह, कमरऊ व राजगढ तहसीलों तथा आजबोझ क्षेत्र की नघेता, अम्बोआ, डाण्डा-पागर, शिवा, बनौर, डाण्डा, काला अम्ब तथा भडाना पंचायतों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 342(1)(2) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाए।
		पिछले सत्र में प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा होगी :-
	श्री अनिरूद्ध सिंह	यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में बन्दरों द्वारा किसानों/ बागवानों की फसलों को पहुचाए गए नुकसान बारे कोई ठोस नीति बनाई जाए।

सचिव,
विधान सभा।

****